**भारत सरकार**

**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या *122**

दिनांक 28 जुलाई, 2023 को उत्तर के लिए

**समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत धनराशि**

***122. श्री रमेश चन्द्र माझी:**

**श्री उपेन्द्र सिंह रावत:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस) की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) कुपोषण की समस्या से निपटने और बच्चों में प्रतिरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आईसीडीएस के अंतर्गत विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान अब तक जिला-वार कितनी-कितनी धनराशि आवंटित, संवितरित और उपयोग की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा इस योजना के फायदों के संबंध में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

**उत्तर**

**श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी** **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

*****

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

**"समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत धनराशि" के संबंध में 28.07.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 122 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण**

(क) भारत सरकार ने मिशन "सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0" शुरू किया है जो स्वास्थ्य, कल्याण और कुपोषण से प्रतिरक्षा का पोषण करने वाली प्रथाओं को विकसित करने के लिए एक कार्यनीतिक बदलाव है। पोषण संबंधी परिणामों को अधिकतम करने के लिए आंगनवाड़ी सेवाओं, किशोरी स्कीम और पोषण अभियान को पोषण 2.0 के तहत फिर से संरेखित किया गया है। वर्तमान में, आंगनवाड़ी सेवा स्कीम देश भर में 13.94 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

(ख) सरकार ने कुपोषण के मुद्दे को उच्च प्राथमिकता दी है और देश में बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। पोषण 2.0 मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चे के आहार मानदंड, एमएएम/एसएएम के उपचार और आयुष के माध्यम से कल्याण पर केंद्रित है। यह अभिसरण, शासन और क्षमता-निर्माण के स्तंभों पर आधारित है। पोषण अभियान आउटरीच के लिए प्रमुख स्तंभ है और पोषण संबंधी सहयोग, आईसीटी हस्तक्षेप, मीडिया एडवोकेसी और अनुसंधान, सामुदायिक आउटरीच और जन आंदोलन से संबंधित नवाचारों को कवर करता है। सेवाओं के त्वरित पर्यवेक्षण और प्रबंधन के लिए पूरक पोषण के प्रावधान की रीयल टाइम निगरानी के संबंध में प्रशासन में सुधार लाने के लिए एक सशक्त आईसीटी सक्षम मंच, 'पोषण ट्रैकर' के तहत प्रत्यायित प्रयोगशालाओं में पोषण की गुणवत्ता और परीक्षण में सुधार लाने, वितरण को मजबूत करने और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

पोषण 2.0 के तहत, आहार विविधता, खाद्य फोर्टिफिकेशन, ज्ञान की पारंपरिक प्रणालियों का लाभ उठाने और बाजरा के उपयोग को लोकप्रिय बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पोषण 2.0 के तहत पोषण जागरूकता कार्यनीतियों का उद्देश्य आहार संबंधी अंतराल को पाटने के लिए क्षेत्रीय/स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थों के माध्यम से स्थायी स्वास्थ्य और कल्याण विकसित करना है। मिशन पोषण 2.0 के दिशानिर्देश आहार विविधता अंतराल को पूरा करने और पोषण संबंधी प्रथाओं में पारंपरिक ज्ञान का लाभ उठाने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिकाओं के विकास का समर्थन करते हैं।

(ग) आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत निधियां राज्यों को जारी की जाती है, जिलों को नहीं। ओडिशा और उत्तर प्रदेश के लिए आंगनवाड़ी सेवा स्कीम के तहत पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अब तक आवंटित, वितरित और उपयोग की गई निधियां **अनुलग्नक** में दी गई हैं।

(घ) पोषण अभियान 8 मार्च 2018 को एक समन्वित और परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण अपनाकर समयबद्ध तरीके से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। कार्यक्रम प्रौद्योगिकी के उपयोग और अभिसरण के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन द्वारा हस्तक्षेप करता है।

पोषण अभियान का उद्देश्य व्यक्तियों, विशेष रूप से माता-पिता और समुदायों के बीच व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना है और इस प्रकार परिवर्तनकारी बदलाव को बढ़ावा देने के लिए एक जन आंदोलन का मार्ग प्रशस्त करना है। इसलिए गर्भावस्था और किशोरावस्था के दौरान शिशु और छोटे बच्चे के आहार की अपर्याप्त और अनुचित प्रथाओं, और पोषण और देखभाल का समाधान करने के लिए 'व्यवहार परिवर्तन संचार' पर महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित किया गया है।

समुदाय आधारित आयोजनों या सीबीई ने पोषण प्रथाओं को बदलने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति का काम किया है। सीबीई गर्भवती महिलाओं और दो वर्ष से कम आयु के बच्चों के जीवन में महत्वपूर्ण उपलब्धि का उत्सव मनाने में मदद करते हैं। सभाएं आवश्यक संदेशों को प्रसारित करने और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उचित पोषण और स्वास्थ्य व्यवहार पर परामर्श देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती हैं। अभियान के तहत करीब 3.70 करोड़ सीबीई आयोजित किए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय पोषण माह पूरे देश में सितंबर के महीने में मनाया जाता है जबकि पोषण पखवाड़ा मार्च में मनाया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में, विषयों में समग्र पोषण, स्वच्छता, पानी और स्वच्छता, एनीमिया की रोकथाम, स्तनपान का महत्व, विकास निगरानी, पोषण पंचायतों की भूमिका, कल्याण के लिए आयुष, स्वास्थ्य के लिए योग, स्थानीय सब्जियों की खेती के लिए पोषण वाटिका का महत्व, सामुदायिक स्तर पर औषधीय पौधे/जड़ी-बूटियों, *पोषण के पांच सूत्र* आदि शामिल हैं। अब तक, 9 जन आंदोलन अभियानों के माध्यम से देश भर में 50 करोड़ से अधिक जन आंदोलन गतिविधियां आयोजित की गई हैं।

सीबीई और जन आंदोलन के अलावा, अभियान के तहत, विभिन्न पोषण और स्वास्थ्य संबंधी स्कीमों के तहत उपलब्ध लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने और जानकारी का प्रसार करने और नागरिकों को उन तक पहुंचने के बारे में मार्गदर्शन करने के लिए आईईसी के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये प्रति जिला की दर से निधि निर्धारित की जाती है।

इसके अलावा, व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए मंत्रालय ने स्कीमों पर लघु लाभार्थी वीडियो भी तैयार किए हैं और इन्हें पूरे देश में और मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल पर प्रसारित किया गया है।

*****

**अनुलग्नक**

**"समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत धनराशि" के संबंध में 28.07.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 122 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक**

| क्र.सं. | वित्त वर्ष | आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत जारी की गई निधि (लाख रुपये) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ओडिशा | | उत्तर प्रदेश | |
| | | जारी की गई निधि | उपयोग की गई निधि | जारी की गई निधि | उपयोग की गई निधि |
| 1 | 2018-19 | 79544.95 | 78269.34 | 202972.91 | 223244.06 |
| 2 | 2019-20 | 85993.04 | 87708.97 | 236406.00 | 245280.88 |
| 3 | 2020-21 | 84652.26 | 88488.24 | 198558.94 | 172437.00 |
| 4 | 2021-22 | 93659.57 | 87074.70 | 239978.59 | 233160.68 |
| 5 | 2022-23 | 91559.27 | यूसी/एसओई देय नहीं | 272052.80 | यूसी/एसओई देय नहीं |
| 6 | 2023-24* | 22202.52 | यूसी/एसओई देय नहीं | 70123.11 | यूसी/एसओई देय नहीं |

यूसी/एसओई - उपयोग प्रमाणपत्र/व्यय का विवरण

* 30.06.2023 तक